

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/85978/BAN/BANDA/238/CFO

दिनांक: 14-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SHANTI DHAM SCHOOL SENIOR SECONDARY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता GATA NO.-7800,7802,7804,7808,7811,7812KA, ATARRA,KERVI ROAD,ATARRA तहसील - ATARRA, प्लाट एरिया 28410 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 4177.22 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SENIOR BLOCK	3	0	11.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SHANTI DHAM SCHOOL SENIOR SECONDARY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 23-06-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MANISH PATHAK 9794199842 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 23-06-2023 से 22-06-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SHANTI DHAM SCHOOL SENIOR SECONDARY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SHANTI DHAM SCHOOL SENIOR SECONDARY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : प्रश्रगत शैक्षणिक भवन SHANTI DHAM SCHOOL SENIOR SECONDARY Block (G+2) का अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर निर्गत किया जाता है कि अग्निशमन व्यवस्थायें शा0आदे0 18-छ:पु0.8.2022.905.34.216 टी0सी0 दिनांक 07/01/2022 के एनेक्सजर बी के अनुरूप पायी गयी सैटबैक की सहमति प्रश्रगत शा0आदे0 के अनुसार सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा प्रश्रगत शैक्षणिक भवन के अधिभोग/भवन संरचना में बदलाव करने/अग्निशमन व्यवस्था की अकार्यशीलता की दशा में/भवन उपविधि मानको का अनुपालन न करने/समय से नवीनीकरण न कराने/स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की दशा में/सत्ताप्राधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानको का उल्लंघन करने की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[313285D63EB5295BDB44EF54B98F2191FCDC9ED]

23-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-06-2023
स्थान : BANDA